रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092024-257284 CG-DL-E-20092024-257284

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3744] No. 3744]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024/भाद्र 29, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2024/BHADRA 29, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली.17 सितम्बर. 2024

का.आ. 4098(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, (11 का 2016) 2016 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतएत्द्वारा : निम्नलिखित आदेश करती है, नामत -:

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इस आदेश को घरेलू, वाणिज्यिक और इसी प्रकार के विद्युत उपकरण सुरक्षा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।
- (2) यह घरेलू, वाणिज्यिक या समान उपयोग वाले ऐसे सभी विद्युत उपकरणों पर लागू होगा, जिनकी रेटेड वोल्टेज 250 वोल्ट सिंगल फेज प्रत्यावर्ती धारा या 415 वोल्ट थ्री फेज प्रत्यावर्ती धारा से अधिक नहीं होगी और जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत जारी किसी अन्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के दायरे में नहीं आते हैं।
- (3) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- 2. **मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग**–तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

6092 GI/2024 (1)

बशर्ते कि इस आदेश की कोई बात निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगी:

बशर्ते यह कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, (27 का 2006) 2006के तहत परिभाषित लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्यम, तालिका के क्रमशः कॉलम :के तहत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तिथि से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे (7) और (6)

बशर्ते कि इस आदेश की कोई बात घरेलू और इसी प्रकार के विद्युत उपकरणों के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष दो सौ वस्तुओं या सामानों तक आयातित वस्तुओं या सामानों पर इस शर्त के साथ लागू नहीं होगी कि ऐसी आयातित वस्तुओं या सामानों को वाणिज्यिक रूप से बेचा नहीं जाएगा और उन्हें स्क्रैप के रूप में निपटान किया जाएगा तथा विनिर्माता ऐसे माल या वस्तुओं का वर्षवार अभिलेख रखेंगे और यदि आवश्यक होतो उसे केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे।,

- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण–भारतीय मानक ब्यूरो तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।
- **4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी**–इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

क्रम सं.	वस्तु अथवा सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	सामान्य रूप से कार्यान्वयन की तिथि (सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर)	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि	सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	घरेलू, वाणिज्यिक या इसी प्रकार के उपयोग के लिए अभिप्रेत सभी विद्युत उपकरण जिनकी रेटेड वोल्टेज वोल्ट 250 सिंगल फेज प्रत्यावर्ती धारा या वोल्ट 415 श्री फेज प्रत्यावर्ती धारा से अधिक नहीं है। विद्युत उपकरणों की उदाहरणात्मक सूची नीचे दी गई है:	आईएस 302 (भाग 1) : 2008	घरेलू और इसी प्रकार के विद्युत उपकरणों की सुरक्षा 1 भाग : सामान्य आवश्यकताएं	क्यूसीओ के ईराजपत्र में- प्रकाशन की तारीख से छह महीने बाद	क्यूसीओ के ईराजपत्र में - प्रकाशन की तारीख से नौ महीने बाद	क्यूसीओ के ईराजपत्र - में प्रकाशन की तारीख से बारह महीने बाद
1	वैक्यूम क्लीनर्स तथा वाटर सक्शन क्लीनिंग उपकण					
2	स्पिन एक्सट्रैक्टर्स					
3	कुर्किंग रेंज ,हॉबअवन तथा इसी प्रकार , के उपकरण					
4	इलेक्ट्रिकल शेवर्स हेयरक्लिपर्स तथा , इसी प्रकार के उपकरण					
5	टम्बलर ड्रायर्स					
6	वार्मिंग प्लेट्स और इसी प्रकार के उपकरण					
7	फ्राइंग पैन्सडीप फैट फ्रायर्स तथा इसी , प्रकार के उपकरण					
8	द्रव्य पदार्थों को गर्म करने के लिए उपकरण					

	11111-2 1111-1111
9	मसाज उपकरण
10	इलेक्ट्रिक फोर्स्ड कंवेक्शन अवनस्टीम ,
	कुकर्स तथा स्टीम कंवेक्शन अवन
11	इलेक्ट्रिक हीटिंग टूल्स
12	इलेक्ट्रिक स्टीम कुकर्स
13	इन्सेक्ट किलर्स
14	इलेक्ट्रिक फेन्स एनर्जाइजर्स
15	इंडोर उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक कॉल बेल्स तथा बजर्स
16	इलेक्ट्रिक वाटर बॉयलर्स
17	इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर्स
18	इलेक्ट्रिकबीन स्लाइसर्स
19	इलेक्ट्रिक बेरी र्सजूस एक्सट्रैक्ट-
20	इलेक्ट्रिक कैन ओपनर्स
21	इलेक्ट्रिक सेंट्रिफ्यूगल जूसर्स
22	इलेक्ट्रिक चर्न्स
23	इलेक्ट्रिक सिट्रस फ्रूट स्क्वीजर्स-
24	इलेक्ट्रिक कॉफी मिल्स, जिनकी क्षमता
	ग्राम हॉपर से अधिक न हो। 500
25	इलेक्ट्रिक क्रीम व्हिपर्स
26	इलेक्ट्रिक ऐग बीटर्स
27	इलेक्ट्रिक फूड़ प्रोसेसर्स
28	इलेक्ट्रिक ग्रेन ग्राइंडर्स, जिनकी क्षमता 31
	हॉपर से अधिक न हो।
29	इलेक्ट्रिक ग्रेटर्स
30	रेफ्रिजरेटर्स तथा फ्रीजर्स में प्रयोग की जाने
	वाली मशीनों सहित इलेक्ट्रिक आईस- क्रीम मशीनें
31	इलेक्ट्रिक नाइफ शार्पनर्स
32	इलेक्ट्रिक नाइव्स
33	इलेक्ट्रिक नूडल मेकर्स
34	इलेक्ट्रिक पोटेटो पीलर्स
35	इलेक्ट्रिक श्रैडर्स
55	

36	इलेक्ट्रिक सीर्विंग मशीनें			
37	स्लाइसिंग मशीनें			
38	इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स			
39	सिंगल वाल्ड बेकिंग अवन			
40	लो स्पीड फूड ग्राइंडिंग मशीनें			
41	डिशवाशर्स			
42	फ्लोर ट्रीटमेंट मशीनें तथा वेट स्क्रबिंग मशीनें			
43	फूड वेस्ट डिस्पोजर्स			
44	ब्लैंकेटक्लोथिंग तथा इसी प्रकार ,पैड्स , बल हीटिंग उपकरणके फ्लेक्सि			
45	अपलाइंसेज फॉर स्किन एक्सपोजर्स टु ऑप्टिकल रेडिएशन			
46	कमर्शियल इलेक्ट्रिक कुर्किंग रेंज ,अवन , हॉब्स तथा हॉब्स एलिमेंट्स			
47	कमर्शियल इलेक्ट्रिक डोनट फ्रायर्स तथा डीप फैट फ्रायर्स			
48	कमर्शियल इलेक्ट्रिक ग्रिडल्स और ग्रिडल ग्रिल्स			
49	कमर्शियल इलेक्ट्रिक मल्टीपर्पज कुर्किंग - पैन			
50	कमर्शियल इलेक्ट्रिक फोर्स्ड कंवेक्शन अवनकन्वेक्शन -स्टीम कुकर्स तथा स्टीम , अवन			
51	क्लोथ ड्रायर्स तथा टावल रेल्स			
52	कमर्शियल इलेक्ट्रिक बॉयलिंग पैन्स			
53	कमर्शियल इलेक्ट्रिक ग्रिलर्स तथा टोस्टर्स			
54	भोजन तथा क्रॉकरी को गर्म रखने के लिए वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक उपकरण			
55	कमर्शियल इलेक्ट्रिक बैंसमारी-			
56	ओरल हाइजीन उपकरण			
57	सॉना हीटिंग अप्लाइंसेज तथा इंफ्रारेड केबिन्स			
58	घरेलू उपयोग के लिए लिक्किड और स्टीम का प्रयोग करने वाले सर्फेस क्लीनिंग उपकरण			
59	एक्वेरियम तथा गार्डन पॉन्ड के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले विद्युत उपकरण			

60	कमर्शियल इलेक्ट्रिक डिशवाशिंग मशीने
61	वर्लपूल बाथ्स और वर्लपूल स्पा
62	थर्मल स्टोरेज रूम हीटर्स
63	कमर्शियल इलेक्ट्रिक रिन्सिंग सिंक
64	कमर्शियल इलेक्ट्रिक किचन मशीनें
65	एयरक्लीर्निंग उपकरण-
66	वाटर बेड हीटर-
67	फिक्स्ड इमर्शन हीटर्स
68	आउटडॉर बार्बीक्यू
69	फुट वार्मर तथा हीटींग मैट्स
70	एम्यूजमेंट मशीन तथा पर्सनल सर्विस मशीन
71	टॉयलेट उपकरण
72	फैब्रिक स्टीमर्स
73	आवासीय उपयोग हेतु वर्टिकली मूर्विंग गैराज डोर्स के लिए ड्राइव्स
74	ह्यूमिडीफायर्स
75	कमर्शियल इलेक्ट्रिक हुड्स
76	वेपोराइजर्स
77	इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वाले गैसऑयल , तथा सॉलिड फ्यूल बर्निंग उपकरण
78	इलेक्ट्रोलाइजर्स
79	लेजर और इंटेंस लाइट सोर्सेज युक्त ब्यूटी केयर उपकरण
80	पर्सनलट्रांसपोर्टर्स-ई-
81	स्किन ब्यूटी केयर उपकरण
82	इलेक्ट्रिकली मोटराइज्ड पार्ट्स वाले फर्नीचर
83	कमर्शियल वैक्यूम पैकेजिंग उपकरण
84	इलेक्ट्रिक हैंड लैंपस्
85	हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिक एनग्रेविंग टूल्स
_	

नोट–इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

> [फा. सं. पी-29026/36/2023– एलईआई] संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 17th September, 2024

- **S.O. 4098(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely:-
- 1. **Short title, application and commencement.-**(1) This Order may be called the Safety of Household, Commercial and Similar Electrical Appliances (Quality Control) Order, 2024.
- (2) It shall apply to all electrical appliance intended for household, commercial or similar application with rated voltage not exceeding 250V single phase alternating current or 415V three phase alternating current and which do not fall under the scope of any other Quality Control Order issued under the Bureau of Indian Standards Act.
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. **Compulsory use of Standard Mark.**-Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that small enterprises and micro enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided also that nothing in this Order shall apply for two hundred numbers of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of household and similar electrical appliances per year with the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and can be disposed of as a scrap and the manufacturers shall maintain a year-wise record of the goods or articles and furnish the same, if so desired to the Central Government.

- **3. Certification and enforcement authority.-**The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (2) of the Table.
- 4. **Penalty for Contravention.-**Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Sl. No.	Goods or Articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of Implementati on in General (other than Micro and Small Enterprises)	Date of Implementatio n for Small Enterprises	Date of Implementati on for Micro Enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	All electrical appliance intended for household, commercial or similar application with rated voltage not exceeding 250V single phase alternating current or 415V three phase alternating current. Illustrative list of electrical	IS 302 (Part 1): 2008	Safety of household and similar electrical appliances: Part 1 general requirements	Six months from the date of publication of the QCO in E-Gazette	Nine months from the date of publication of the QCO in E- Gazette	Twelve months from the date of publication of the QCO in E-Gazette

	appliances is given below:			
1	Vacuum Cleaners and Water Suction Cleaning			
	Appliances			
2	Spin Extractors	•		
3	Cooking Ranges, Hobs, Ovens and Similar			
	Appliances			
4	Electrical Shavers Hair, Clippers and Similar			
	Appliances			
5	Tumbler Dryers			
6	Warming Plates and Similar Appliances			
7	Frying Pans, Deep Fat Fryers and similar appliances			
8	Appliances for Heating Liquids			
9	Massage Appliances			
10	Electric Forced Convection Ovens,			
	Steam			
	Cookers and Steam-Convection Ovens			
11	Electric Heating Tools			
12	Electric Steam Cookers			
13	Insect Killers			
14	Electric Fence Energizers			
15	Electric Call Bells and Buzzers for Indoor Use			
16	Electric Water Boilers			
17	Electric Coffee Makers			
18	Electric Bean Slicers			

			[171]	
19	Electric Berry- juice Extractors			
20	Electric Can Openers			
21	Electric Centrifugal Juicers			
22	Electric Churns			
23	Electric Citrus- fruit Squeezers			
24	Electric Coffee Mills not exceeding 500g hopper capacity			
25	Electric Cream Whippers			
26	Electric Egg Beaters			
27	Electric Food Processors			
28	Electric Grain Grinders not exceeding 31			
	hopper capacity			
29	Electric Graters			
30	Electric Ice- Cream Machines, including those			
	for use in refrigerators and freezers			
31	Electric Knife Sharpeners			
32	Electric Knives			
33	Electric Noodle Makers			
34	Electric Potato Peelers			
35	Electric Shredders			
36	Electric Sieving Machines			
37	Slicing Machines			
38	Electric Hot Plates			
39	Single Walled Baking Ovens			
40	Low Speed Food Grinding			

	Machines
41	Dishwashers
42	Floor Treatment Machines and Wet Scrubbing
	Machines
43	Food Waste Disposers
44	Blankets, Pads, Clothing and Similar Flexible
	Heating Appliances
45	Appliances for Skin Exposure to Optical Radiation
46	Commercial Electric Cooking Ranges, Ovens,
	Hobs and Hob Elements
47	Commercial Electric Doughnut Fryers and
	Deep Fat Fryers
48	Commercial Electric Griddles and Griddle
	Grills
49	Commercial Electric Multi- purpose Cooking
	Pans
50	Commercial Electric
	Forced
	Convection
	Ovens, Steam Cookers and Steam- Convection Ovens
51	Clothes Dryers and Towel Rails
52	Commercial Electric Boiling Pans
53	Commercial Electric Grillers

			[I /IIK	
	and Toasters			
54	Commercial Electric Appliances for keeping			
	Food and Crockery Warm			
55	Commercial Electric Bains- Marie			
56	Oral Hygiene Appliances			
57	Sauna Heating Appliances and Infrared Cabins			
58	Surface-Cleaning Appliances for Household			
	use Employing Liquids or Steam			
59	Electrical Appliances for use with Aquariums			
	and Garden Ponds			
60	Commercial Electric Dishwashing Machines			
61	Whirlpool Baths and Whirlpool Spas			
62	Thermal Storage Room Heaters			
63	Commercial Electric Rinsing Sinks			
64	Commercial Electric Kitchen Machines			
65	Air-Cleaning Appliances			
66	Water-Bed Heaters			
67	Fixed Immersion Heaters			
68	Outdoor Barbecues			
69	Foot Warmers and Heating Mats			
70	Amusement			

	Machines and Personal Service
	Machines
71	Toilet Appliances
72	Fabric Steamers
73	Drives for
	Vertically Moving
	Garage Doors for Residential
	Use
74	Humidifiers
75	Commercial
76	Electric Hoods
76	Vaporizers Gas, Oil and
	Solid-Fuel
	Burning
	Appliances
	Having Electrical Connections
78	Electrolysers
79	Beauty Care
	Appliances
	Incorporating Lasers
	and Intense Light
	Sources
80	Personal-e-
	Transporters
81	Skin Beauty Care Appliances
82	Furniture with
	Electrically
	Motorized Parts
83	Commercial Vacuum
	Packaging
	Appliances
84	Electric Hand
85	Lamps Hand held electric
65	Engraving Tools
\sqcup	

Note.-For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

[F. No. P- 29026/36/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.